संख्या: 11/2016/1452/छप्पन-2015-42/2008 टी0सी0-1

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 फरवरी, 2016

विषय: जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः514/ए0एस0-19-84/2015, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स राइट्स लिमिटेड को शासनादेश दिनांक 21.5.2015 के द्वारा नामित किया गया है। इस आलोक में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ से मैसर्स राइट्स लिमिटेड द्वारा गठित प्रस्तावित आगणन (टर्मिनल बिल्डिंग को छोड़कर) रू0 21197.21 लाख (रूपये दो अरब ग्यारह करोड. सत्तानबे लाख इक्कीस हजार मात्र) प्राप्त हुआ। प्रस्तावित आगणन लागत रूपये 21197.21 लाख को व्यय वित्त समिति द्वारा रूपये 19941.83 लाख (रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) की लागत पर अनुमोदित किया गया है। उक्त आगणन के आंकलन/अनुमोदन से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 का कार्यवृत्त और अनुमोदित/आंकलित आगणन की प्रतिलिपि संलग्न है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु आगणन लागत रूपये 19941.83 लाख (रूपये एक अरब निन्यानबे करोड़ इकतालिस लाख तिरासी हजार मात्र) जिसमें 11 प्रतिशत की दर से कन्सल्टेन्सी फीस और कन्सल्टेन्सी फीस पर 14 प्रतिशत की दर से सर्विस टेक्स सम्मिलित है, पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जा रही है :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उसी प्रयोजन/मद पर व्यय की जायेगी जिस प्रयोजन/मद हेतु यह स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा और व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 के कार्यवृत्त में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय यथा-आवश्यकता एवं संगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) प्रायोजना के अन्तर्गत लिफ्ट, स्ट्रीट लाइट्स, नेविगेशनल तथा कम्यूनिकेशन सिस्टम, रन-वे लाइटिंग, एप्रोच लाइटिंग तथा एप्रन लाइटिंग आदि हेतु बजटरी आफर/ कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः इन कार्यमदों के निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेंगा कि ये कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) निर्माण कार्यो के लिए स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा अपने खाते में जमा करने पर यदि ब्याज अर्जित किया जायेगा तो उसे राजकीय कोष में जमा करना होगा।

(9) प्रायोजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जाय तथा भविष्य में प्रायोजना पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

(10) स्वीकृत धनराशि आहरित कर संबंधित पक्षों को नियमानुसार व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

-----3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(11) जनपद कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हेतु समय-समय पर विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि की गणना के आधार पर आगामी माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लेखाशीर्षक " 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन -24- वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-38/दस-2016, दिनांक 21 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त्।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्याः 11-2016-1452(1)/छप्पन-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर/जिलाधिकारी, कुशीनगर।
(5) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्यासि अधिकारी, कुशीनगर।
(6) निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
(8) समीक्षा अधिकारी, बजट।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।